689

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
——00——

क्रमांक 4088 / 2380601 / 2024 / 18—1 भोपाल, दिनांक 13/11/2024

प्रति,

1) आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

2) आयुक्त सह—संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्यप्रदेश, भोपाल

3) आयुक्त,
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
भोपाल।

विषयः— शासन से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की ई—फाइलिंग हेतु ई—फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर के अनिवार्य उपयोग संबंधी।

——00——

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र कमांक 1793 / 2326164 / 2024 / 1 / 8 दिनांक 22.10.2024 अनुसार ई—कोर्ट समिति की बैठक दिनांक 24.02.2024 के कार्यवाही विवरण के पालन एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 19.09.2024 के अनुक्रम में शासन से संबंधित समस्त न्याया. प्रकरणों की ई—फाइलिंग हेतु ई—फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य है। उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लिए मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मिस्ड कॉल सुविधा नम्बर 9606151400 अथवा म.प्र. हेल्पडेस्क का उपयोग किया जा सकता है।

2/ अतः अनुरोध है कि पत्र के सबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

11/11/24
(धीरज शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 5752
दिनांक 28/11/2024
शाखा विधि
संचा. (स्था.) आयुक्त

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

2380604/181
07/11/2024

क्रमांक 1793 / 2326164 / 2024 / 1 / 8 भोपाल,दिनांक 22/10/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

29/10/24

विषयः– शासन से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की ई–फाइलिंग हेतु ई–फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर के अनिवार्य उपयोग के संबंध में।

विषयान्तर्गत ई–कोर्ट समिति की बैठक दिनांक 24 / 02 / 2024 के कार्यवाही विवरण के पालन एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 19 / 09 / 2024 के अनुक्रम में, कृपया अवगत हों कि मध्यप्रदेश शासन से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की ई–फाइलिंग हेतु, ई–फाईलिंग 3.0 सफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

2/ अतः अब से जो भी प्रकरण दर्ज किया जाना है अथवा जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना है उसके लिए अनिवार्य रूप से ई–फाईलिंग 3.0 साफ्टवेयर का उपयोग करने का अनुरोध है।

3/ ई–फाईलिंग में किसी प्रकार की समस्या आने पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मिस्ड कॉल सुविधा नम्बर 9606151400 एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के हेल्पडेस्क पर ई–मेल का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

4/ अतः आपके विभाग एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को प्रकरण की ई–फाईलिंग हेतु ई–फाईलिंग 3.0 साफ्टवेयर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

No. 3450 Dated 25/10/24

ACS UD & H
NO. 7938
DS(P)

(संजय दुबे)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

श्रीमती नवीना
30/10/24

OSD(PS) DS
SO